फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री रिजवान अहमद निवासी 14, राईको का बास पाली तहसील व जिला पाली

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 85 / 2025**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.10.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये पत्र क्रमांक :– सू. अ./2025/654 दिनांक 16.09.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री रिजवान अहमद पिता अजीज दर्द साहब निवासी राईको का बास, पाली द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कब्जे से संबंधित मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति चाही गयी थी। उक्त अनुसार संबंधित लिपिक द्वारा राजस्व रेकार्ड में उक्त मौके पर्चे की तपाश की गयी परन्तु बहुत ढुंढने पर भी उक्त प्रति नहीं मिली। उसके पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 592 दिनांक 27.08.2025 को कमेठी का गठन किया गया कमेठी कार्मिको द्वारा दिनांक 28.08.2025 से 30.08.2025 तक ढुंढने पर भी उक्त प्रति नहीं मिली। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त दस्तावेज मिलते ही प्रार्थी को अवगत करा सूचना प्रदान कर दी जायेगी। परन्तु अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.09.2025 को न्यायालया में उपस्थित होकर निवेदन किया कि वांछित सूचना से संबंधित दस्तावेज न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी आमेट मे विचाराधीन में प्रकरण संख्या 88/2010 के अनवान रफिक मोहम्मद बनाम राज्य सरकार में संलग्न है जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर आमेट से 88/2010 बअनवान रफिक मोहम्मद बनाम राज्य सरकार की पत्रावली तलब की गयी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना राजस्व रेकार्ड में उक्त मौके पर्चे की तपाश की गयी परन्तु बहुत ढुंढने पर भी उक्त प्रति नहीं मिली। उसके पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 592 दिनांक 27.08.2025 को कमेठी का गठन किया गया कमेठी कार्मिकों द्वारा दिनांक 28.08.2025 से 30.08.2025 तक ढुंढने पर भी उक्त प्रति नहीं मिली।	

न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील व बहस में प्रकरण संख्या 88/2010 के अनवान रफिक मोहम्मद बनाम राज्य सरकार में पटवार हल्का बिकावास तहसील आमेट में पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति चाही गई। सहायक कलक्टर आमेट से 88/2010 के अनवान रफिक मोहम्मद बनाम राज्य सरकार की पत्रावली तलब की गयी। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट के साथ वांछित मौका पर्चा रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। दस्तावेजो के अभाव में वांछित सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा गठित कमेठी द्वारा वांछित सूचना से संबंधित दस्तावेज यदि उपलब्ध होते है तो प्रार्थी को वांछित सूचना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट तथा तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)